

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-04062020-219721
SG-DL-E-04062020-219721

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 97]	दिल्ली, सोमवार, जून 1, 2020/ज्येष्ठ 11, 1942	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 30
No. 97]	DELHI, MONDAY, JUNE 1, 2020/JYAISTHA 11, 1942	[N.C.T.D. No. 30

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग
अधिसूचना

दिल्ली 1, जून 2020

सं. 15/2019-राज्य कर (दर)

सं.फा. 3(5)/वित्त(राजस्व-I)/2020-21/डी.एस.-VI/168-दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, जी.एस.टी. परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त (राजस्व-1) विभाग की अधिसूचना संख्या 2/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सं. फा. 3(15)/वित्त(राजस्व-1)/2017-18/डी.एस. VI/374 दिनांक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र असाधारण के भाग-IV, में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में,-

- (i) क्रम संख्या 57 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"57क	0813	शुष्क इमली";
------	------	--------------

- (ii) क्रम संख्या 114 ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:—

“114ग	46	सभी प्रकार की पत्तियों/फूलों/छालों से बने प्लेट्स और कप्स”;
-------	----	---

2. यह अधिसूचना 01 अक्टूबर, 2019 से लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
सुनील सहगल उप सचिव—VI (वित्त)

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 2/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017 को सं. फा. 3(15)/वित्त(राजस्व-1)/2017-18/डी.एस. VI/374 दिनांक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र असाधारण के भाग-IV, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 25/2018-राज्य कर (दर) दिनांक 03 सितम्बर, 2019, जिसे सं. फा. 3(25)/वित्त(राजस्व-1)/2019-20/डी.एस. VI/390 दिनांक 03 सितम्बर, 2019 के तहत दिल्ली के राजपत्र असाधारण के भाग-IV, में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 1st June, 2020

No. 15/2019 – State Tax (Rate)

No. F.3(5)/Fin.(Rev-I)/2020-21/ DS-VI/168—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) of section 11 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of Government of National Capital Territory of Delhi in the Department of Finance (Revenue-1) No.2/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide No. F.3(15)/Fin.(Rev-I)/2017-18/DS-VI/ 374 dated 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Schedule,-

- (i) after S. No. 57 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“57A	0813	Tamarind dried”;
------	------	------------------

- (ii) after S. No. 114B and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“114C	46	Plates and cups made up of all kinds of leaves/flowers/bark”;
-------	----	---

2. This notification shall come into force on the 1st October, 2019.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
SUNIL SEHGAL, Dy. Secy.-VI (Finance)

Note : The principal notification No.2/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3(15)/Fin.(Rev-I)/2017-18/DS-VI/374 dated the 30th June, 2017 and last amended by Notification No. 25/2018 State Tax (Rate) dated 3rd September, 2019 published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide no. F.3(25)/Fin.(Rev-I)/2019-20/DS-VI/390 dated 3rd September, 2019.